

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूंपीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)दावा बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरुस्तीअंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाईमुकदमा नम्बर :-45/2025 (मकबूल बनाम सरकार वगै०)

निर्णय दिनांक :- 30.07.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, पंकज शर्मा(आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादी मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 30.07.2025 द्वारा पारित निर्णयानुसार ग्राम गांगियासर की सरहद में स्थित भूमि ख0न0 1027/20, 20/954, 89 कुल किता 3 कुल रकबा 1.81 है० भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी व वादी के पिता का दर्ज गलत नाम मकबूल पुत्र वजीदा के बजाय दस्तावेजी व सही नाम मकबूल हुसैन पुत्र बाजिद दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। दावा फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 30.07.2025 को जारी की गई।



५०

(पंकज शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी,

मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी

मलसीसर